D:\R.S. Second Folder\General\Elections Leave 2017.doc

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र / 2 / 2013 जयपुर, दिनांकः 10/7/2021

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य की 50 ग्राम पंचायतों में संरपच के रिक्त पदों एवं इन्ही ग्राम पंचायतों में उप संरपच एवं वार्ड पंचो के रिक्त पदों पर उप चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया (प्रति संलग्न) है । अत मतदान दिवस दिनांक 25.07.2021 (रविवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी),अजमेर,अलवर, बारा, बाडमेर,भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौडगढ, चुरु, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर,जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, करौली, कोटा,नागौर,सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर, को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही उपचुनाव की स्थिति में भी जहां उपचुनाव होगा उस मतदान क्षेत्र / क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु सम्बधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से
सं.
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(1) / पंचा / रानिआ / 2021 / 3324 दिनांक: 22.07.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग